FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़ मुकाम

श्री माता जी करणी जी स्थान देव बनाम करणीदान

मुकद्दमा कानूदान नं. 62/2001 सन्

धारा 45 व नि. 9 ना. प्र.

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/8/22	पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल के निर्णय अनुसार प्र. स. 62/01 में पारित निर्णय दिनांक 16.05.2002 निरस्त किया जाने से यह आदेश 47 नियम 1 स्वीकार किया जाकर परीक्षण न्याया. द्वारा पूर्व में पारित आदेश 9 नियम 9 सी. पी. सी के प्रार्थना पत्र पर पारित निर्णय दिनांक 02.6.2001 को निरस्त किया जाने से पत्रावली दोनो पक्षकारो को सुनकर वादी के द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र आदेश 9 नियम 9 CPC का नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई। प्राप्त होने से दिनांक 20.12 ... पक्षकारान को नोटिस जारी ... वादीगण की ओर से अधिवक्ता जगदीश प्रसाद वैष्णव ने वकालतनामा पेश किया व प्रतिवादी की ओर से Ad. श्री रघुवीर सिंह झाला ने अधिकार	

PTO

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पत्र पेश किया। वकील वादी द्वारा वादी की मृत्यु हो जाने से आ.पत्र 22 नियम 03 का पेश किया जिसे बाद कार्यवाही स्वीकार किया गया व संशोधित टाईटल पेश किया जो शा.का. किया गया। प्रा.पत्र 9 नियम 9 का वकील अप्रार्थी जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसलिये प्रा.पत्र पर बहस उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। बहस प्रा.पत्र पर वकील प्रार्थी ने बताया कि व प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया किया कि मूल वाद प्रकरण सं. 29/91 फैसल दिनांक 21.3.98 को प्रकरण को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारीज मे खारीज कर दिया परन्तु प्रकरण मे नियुक्त अधिवक्ता रघुवीर सिंह जी शक्तावत का अचानक एक्सीडेन्ट हो गया जिसे रुटी समय पर न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका। सदभावना पूर्वक कारण होने से वाद वादीगण का वाद पुनः नम्बर पर लिवाया जाने का आदेश फरमाया जावे। वकील अप्रार्थी ने बहस मे निवेदन किया कि प्रा.पत्र को खारीज ... स्वीकार जावे। प्रा.पत्र ... वकील अप्रार्थी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाने से प्रा.पत्र पर उभय पक्षकारान द्वारा पेश बहस पर मनन किया किया। प्रा.पत्र

Sd/-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र में समुचित कारण होने से प्रा.पत्र 9 नियम 9 का 300/- रु. की कोस्ट पर स्वीकार किया जाता है, वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। वर्तमान में राजस्व ग्राम कन्नुखेड़ा का सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय सहायक कलक्टर को होने से पत्रावली स्थानां. की जावे पक्षकारान सुनवाई हेतु न्यायालय में दिनांक 6-9-2022 को उपस्थित रहें। निर्णय खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। (बिन्दुबाला राजावत) RAS उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी जि. चित्तौड़गढ़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2022.09.09 17:25:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner